राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2020 अपील

(अतंर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ आदेश 1976)

1. ग्राम सेवा समिति अण्टाली तहसील आसींद जरिये व्यवस्थापक ग्राम सेवा समिति अण्टाली तहसील आसीन्द	बनाम	1. जिला रसद अधिकारी भीलवाडा
–अपीलार्थी		–प्रत्यर्थी/विपक्षी

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 विरूद्व निर्णय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण संख्या 65/2012 दिनांक 26.07.2019 एवं आदेश संख्या रसद/प्रकरण /65–2012/2019/547 दिनांक 27.08.2019

उपस्थित –

1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विभागीय पेरोकार – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.11.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 प्रकरण संख्या 65/2012 विरूद्व जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सहकारी क्षेत्र की संस्था है तथा राजस्थान सहकारी संस्था होकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र अण्टाली के लिये उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य पर वितरण करने के लिये उक्त नियमों के अंतर्गत प्राधिकार संख्या 20/77 जारीशुदा है तथा अपीलार्थी विगत 40 वर्ष से अधिक समय से उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने का कार्य निर्बाध रूप से करता आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक आसींद ने दिनांक 30.08.2012 को अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया और अपीलार्थी के वितरण केन्द्र/दुकान पर ए.पी.

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

एल. का आटा वितरण करने के लिये होलसेलर से उठाव न करना बताया गया इसी प्रकार समिति के वितरण केन्द्र के बाहर मूल्य, स्टाक एवं जिला रसद कार्यालय एवं कलक्टर कार्यालय के टेलिफोन नंबर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होना बताया गया। इसी प्रकार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाला गेहूं का स्टाक 108 क्विंटल 79 किलो बैलेंस होना चाहिए एवं भौतिक सत्यापन पर 97 क्विंटल 50 किलो गेहूं ही उपलब्ध पाया गया आदि। जिला रसद अधिकारी (जिन्हें आगे अधिनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया गया है) द्वारा दिनांक 13.09.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी करना और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.04.2013 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी समिति के विरूद्ध निरीक्षण के दौरान किये गये उक्त तीनों ही बिन्दुओं पर आक्षेप को अस्वीकार कर कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की है। न्यायालय ने दिनांक 26.07.2019 को प्रश्नगत आदेश पारित कर अपीलार्थी समिति के पक्ष में जारी प्राधिकार को निरस्त करने एवं आदेश संख्या 547 दिनांक 27.08.2019 जारी कर अपीलार्थी के प्राधिकार को निरस्त कर जमाशुदा प्रतिभूति जप्त सरकार करने की आज्ञा पारित की है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप क्रम 1 माह जुलाई 2012 ए.पी.एल. आटा दो माह से उठाव न करने का आयद किया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी ने अपने जवाब दिनांक 08.04.2013 में वास्तविक तथ्य दर्ज करते हुए बताया गया कि दिनांक 20.06.2012 को बिल नंबर 512 से 100 पैकिट जो बल्दवा फ्रूट ब्यावर से क्रय किया गया जिनका वितरण दिनांक 26.06.2012 से 21.08.2012 तक किया गया है उक्त आटे को उपभोक्ताओं द्वारा पसंद नहीं किया गया क्योंकि आटे की गुणवता सही नहीं थी और माह अगस्त, 2012 में वर्षा ऋतु समय होने से आटे में इल्लाईयां पाई गई व उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने के कारण आटे का उठाव नहीं किया गया। आटे का होलसेलर बल्दवा फुट ब्यावर जिसे सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराने के लिये होलसेलर है, के द्वारा घटिया किस्म का आटा माह जून 2012 में दिया गया था जो कि मानव के खाने योग्य नहीं था और उपभोक्ताओं की शिकायत के कारण आटे का उठाव नहीं किया गया जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। आरोप क्रम 2 के संबंध में अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी समिति के बाहर नोटिस बोर्ड बना

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रखा है जिस पर मूल्य, स्टाक आदि दर्शित किया गया था जिसे उचित नहीं समझा गया और इसके पश्चात नवीन निर्देशानुसार बोर्ड बनवाया जाकर स्टाक, मूल्य एवं टेलिफोन नंबर दर्ज किये जा रहे है। आरोप कम 3 में दिनांक 30.08.2012 को विभिन्न योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को वितरण किये जाने वाला गेहूं के स्टाक में 108 क्विंटल 79 किलो गेहूं बैलेंस में होना और भौतिक सत्यापन पर 97 क्विंटल 50 किलो गेहूं उपलब्ध होना बताते हुए 11 क्विंटल 29 किलो गेहूं बैलेंस में कम होना बताया गया है। इस संबंध में यद्यपि विस्तृत जवाब मदवार गेहूं के वितरण व बैलेंस का दिया गया है और दिनांक 30.08.2012 को मदवार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गेहूं का आरम्भिक स्टाक (Opening Balance) निम्नानुसार स्टाक रजिस्टर में दर्ज हैः—

बी.पी.एल. योजना 33.39 क्विंटल

स्टेट बी.पी.एल. 45.20 क्विंटल

अन्त्योदय 23.70 क्विंटल

योग :— 102.29 क्विंटल

उपर्युक्त स्थिति अनुसार 102.29 क्विंटल गेहूं का स्टाक आरम्भिक बैलेंस (Opening Balance) था और दिनांक 30.08.2012 को प्रवर्तन निरीक्षक ने दिन में 3—4 बजे करीब निरीक्षण किया तब तक उक्त दिनांक को उक्त योजनाओं के अंतर्गत गेहूं का वितरण बमुताबिक स्टाक रजिस्टर निम्नानुसार किया जा चुका थाः—

बी.पी.एल. 2.50 क्विंटल

स्टेट बी.पी.एल. 1.25 क्विंटल

अन्त्योदय योजना 1.75 क्विंटल

योग 6.50 क्विंटल

इस प्रकार दिनांक 30.08.2012 को निरीक्षण के समय 6.50 क्विंटल गेहूं का वितरण किया जा चुका था और आरम्भिक बैलेंस (Opening Balance) में से 6.50 क्विंटल वितरित गेहूं को कम करने पर बैलेंस 95.79 क्विंटल गेहूं बचत में रहता है। निरीक्षक ने दिनांक 30.08.2012 को वितरित गेहूं को आरम्भिक बैलेंस (Opening Balance) 102.29 क्विंटल को बैलेंस मानकर आक्षेप किया है जो कि तथ्यों से ही मिथ्या ठहरता हैं। यहां यह निवेदन करना मुनासिब

होगा कि अपीलार्थी के यहां संधारित स्टाक रजिस्टर में दिनांक 30.08.2012 के वितरण के पश्चात निरीक्षण के समय वितरित गेहूं के बाद उपलब्ध स्टाक का भी पंजिका में सत्यापन कर अपने हस्ताक्षर किये है। इस प्रकार उपरोक्त मदों के गेहूं के स्टाक में किसी प्रकार का अन्तर/कमी ही नहीं रही है। आदेश 1976 के अंतर्गत अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये समुचित अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित था और अधिनस्थ न्यायालय का भी दायित्व था कि रसद विभाग द्वारा जारी स्टाक रजिस्टर जिसमें कि दैनिक वितरण एवं बचत स्टाक की प्रविष्टियां अपीलार्थी किये हुए है जिनका सत्यापन भी निरीक्षण प्रवर्तक ने कर रखा है, का परिशीलन किये बिना ही प्रश्नगत आदेश पारित कर निश्चित रूप से अनुचितता कारित की है और इस प्रकार प्रश्नगत आदेश टिकने योग्य नहीं है। राज्य सरकार की उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिये प्रचलित नीति (Policy) सहकारी क्षेत्र की समिति/संस्थाओं को प्रथम वरीयता के आधार पर वितरण का प्राधिकार पत्र जारी किया जाना आवश्यक माना गया है। अपीलार्थी सहकारी क्षेत्र की समिति है और विगत 40 वर्ष से अधिक समय से वितरण का कार्य करती आ रही है। इस अवधि में अपीलार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता का आक्षेप भी नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित क्रमशः 26.07.2019 एवं 27.08.2019 की जानकारी अपीलार्थी को उस समय हुई जबकि आदेश दिनांक 27.08.2019 के द्वारा प्राधिकार निरस्त करने व प्रतिभूति राशि जप्त करने की तामील दिनांक 02.09.2019 को हुई हैं तब अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत आदेश की प्रति हेतु दिनांक 03.09.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया और प्रमाणित प्रतियां 19.09.2019 को प्राप्त हुई है इस प्रकार दिनांक जानकारी से अपील प्रचलित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2019 में पूर्व में जारी निरस्तीकरण आदेश दिनांक 26.07.2019 का उल्लेख होने से अपीलार्थी को दिनांक 02.09.2019 को दोनों आदेशों की जानकारी हुई है। उक्त तथ्य के समर्थन में अपीलार्थी समिति के व्यवस्थापक का शपथ पत्र साथ में प्रस्तुत है। अपीलार्थी समिति में पूर्व में व्यवस्थापक श्री गोपीलाल कुम्हार व्यवस्थापक तत्समय में रहे है जिनका असामयिक निधन दिनांक 12.08.2013 को हो गया

अति. जिला कलक्टर
नीमच

और उक्त कार्यवाही जानकारी अपीलार्थी समिति को नहीं रही है। उपरोक्त स्थिति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्यापित है कि अपीलार्थी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 65/2012 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2019 एवं आदेश संख्या 547 दिनांक 27.08.2019 को अपास्त (set&aside) किये जाने एवं ग्राम पंचायत अण्टाली क्षेत्र में अपीलार्थी के पक्ष में जारी प्राधिकार संख्या 20/77 को पूर्ववत, यथावत कायम रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 23.09.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 29.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से रिकार्ड प्रेषित किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक आसींद ने दिनांक 30.08.2012 को अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया और अपीलार्थी के वितरण केन्द्र/दुकान पर ए.पी.एल. का आटा वितरण करने के लिये होलसेलर से उठाव न करना बताया गया इसी प्रकार समिति के वितरण केन्द्र के बाहर मूल्य, स्टाक एवं जिला रसद कार्यालय एवं कलक्टर कार्यालय के टेलिफोन नंबर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होना बताया गया। इसी प्रकार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाला गेहूं का स्टाक 108 क्विंटल 79 किलो बैलेंस होना चाहिए एवं भौतिक सत्यापन पर 97 क्विंटल 50 किलो गेहूं ही उपलब्ध पाया गया आदि। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप क्रम 1 माह जुलाई 2012 ए.पी.एल. आटा दो माह से उठाव न करने का आयद किया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी ने अपने जवाब दिनांक 08.04.2013 में वास्तविक तथ्य दर्ज करते हुए बताया गया कि दिनांक 20.06.2012 को बिल नंबर 512 से 100 पैकिट जो बल्दवा फ्रूट ब्यावर से कय किया गया जिनका

वितरण दिनांक 26.06.2012 से 21.08.2012 तक किया गया है उक्त आटे को उपभोक्ताओं द्वारा पसंद नहीं किया गया क्योंकि आटे की गुणवता सही नहीं थी और माह अगस्त, 2012 में वर्षा ऋतु समय होने से आटे में इल्लाईयां पाई गई व उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने के कारण आटे का उठाव नहीं किया गया। आटे का होलसेलर बल्दवा फुट ब्यावर जिसे सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराने के लिये होलसेलर है, के द्वारा घटिया किस्म का आटा माह जून 2012 में दिया गया था जो कि मानव के खाने योग्य नहीं था और उपभोक्ताओं की शिकायत के कारण आटे का उठाव नहीं किया गया जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी समिति के बाहर नोटिस बोर्ड बना रखा है जिस पर मूल्य, स्टाक आदि दर्शित किया गया था जिसे उचित नहीं समझा गया और इसके पश्चात नवीन निर्देशानुसार बोर्ड बनवाया जाकर स्टाक, मूल्य एवं टेलिफोन नंबर दर्ज किये जा रहे है। दिनांक 30.08.2012 को निरीक्षण के समय 6. 50 क्विंटल गेहूं का वितरण किया जा चुका था और आरम्भिक बैलेंस (Opening Balance) में से 6.50 क्विंटल वितरित गेहूं को कम करने पर बैलेंस 95.79 क्विंटल गेहूं बचत में रहता है। निरीक्षक ने दिनांक 30.08.2012 को वितरित गेहूं को आरम्भिक बैलेंस (Opening Balance) 102. 29 क्विंटल को बैलेंस मानकर आक्षेप किया है जो कि तथ्यों से ही मिथ्या ठहरता हैं। यहां यह निवेदन करना मुनासिब होगा कि अपीलार्थी के यहां संधारित स्टाक रजिस्टर में दिनांक 30.08.2012 के वितरण के पश्चात निरीक्षण के समय वितरित गेहूं के बाद उपलब्ध स्टाक को भी पंजिका में सत्यापन कर अपने हस्ताक्षर किये है। इस प्रकार उपरोक्त मदों के गेहूं के स्टाक में किसी प्रकार का अन्तर/कमी ही नहीं रही है। आदेश 1976 के अंतर्गत अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये समुचित अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित था और अधिनस्थ न्यायालय का भी दायित्व था कि रसद विभाग द्वारा जारी स्टाक रजिस्टर जिसमें कि दैनिक वितरण एवं बचत स्टाक की प्रविष्टियां अपीलार्थी किये हुए है जिनका सत्यापन भी निरीक्षण प्रवर्तक ने कर रखा है, का परिशीलन किये बिना ही प्रश्नगत आदेश पारित कर निश्चित रूप से अनुचितता कारित की है। उपरोक्त स्थिति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्यापित है कि अपीलार्थी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 65/2012 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2019 एवं आदेश संख्या 547 दिनांक 27.08.2019 को अपास्त (set&aside) किये जाने एवं ग्राम पंचायत अण्टाली क्षेत्र में अपीलार्थी के पक्ष में जारी प्राधिकार संख्या 20/77 को पूर्ववत, यथावत कायम रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 65/2012 में दिनांक 26.07.2019 को पारित निर्णय में सभी तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए प्रकरण में जारी नोटिस का उल्लघंन कर शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्राधिकार पत्र संख्या 20/1977 को निरस्त किया गया है, जो सही है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी का दिनांक 08.04.2013 को प्रस्तुत जवाब किया गया। अपीलार्थी के प्रस्तुत जवाब अनुसार एपीएल का आटा प्रथम बार ही आया। ग्राम वासीयान द्वारा आटे को पसन्द नही किया गया क्योंकि आटा की क्वालीटी बढिया नही थी। बरसात का समय होने से आटे मे इल्लियां पायी गयी। राशनकार्डधारियों द्वारा बार बार शिकायत करने से उक्त आटे का समय पर उठाव नही किया गया व बिल से सरेण्डर पर वितरण नही किया जा सका। समिति के बाहर नोटिस बोर्ड पुराने नियमों के अतंर्गत था व निर्देशानुसार नोटिस बोर्ड सही करवाया गया। वक्त निरीक्षण वितरण कार्य चालू था एवं करीब 01 क्वि. गेहूँ जो कि ढेर पडा हुआ था, उसमें कचरा व मिटटी के टुकडे होने से राशनकार्डधारियों द्वारा नही लिया गया। सभी स्टॉक रजिस्टर पर निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर है, किन्तु जल्दी के कारण समस्त प्रकार के गेहूँ के स्टॉक की जानकारी समझा नही सका।

अपीलार्थी के उक्त जवाब का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई खण्डन नही करते हुये कोई विवेचन नही किया गया। स्टॉक रजिस्टर का भी सम्पूर्ण तरीके से एवं विस्तृत रूप से परिशीलन नही किया गया। उपरोक्त विवेचन अनुसार

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार की पूर्ण एवं समुचित सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 65/2012 दिनांक 26.07.2019 आदेश संख्या रसद/प्रकरण/65–2012/2019/547 दिनांक 27.08.2019 को अपास्त कर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार की पूर्ण एवं समुचित सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा